विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं. 721 का परिशिष्ट "अ"

[19/3/2020]

प्रश्न सं. [क. 721]

2. मध्यप्रदेश में एक स्वतंत्र फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल का गठन किया जाना.

श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव (बदनावर) - अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि -

सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में एक स्वतंत्र फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल का गठन किया जाए, जिससे वेतन तथा अन्य विसगतियां समाप्त हो सके.

अध्यक्ष महोदय:- संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री राजबर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय है. क्योंकि हमारा यह निर्णय पूरे प्रदेश में लाखों को जीवन व्यतीत करने में आगे मार्ग प्रशस्त करेगा. मैं जब आज यह संकल्प लेकर आया हूं तो मेरा सदन से एक और निवेदन है कि आप यह न मानें कि मैं एक कांग्रेस के सदस्य के नाते यह संकल्प लेकर आया हूं.

मैं यह संकल्प एक उस पेशेंट के नाते लेकर आया हूं, जो भुग्त-भोगी है और कैसे फिजियोथैरेपी ने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला. मैं स्कूल के समय से एथेलेटिक्स करता था. मैं नेशनल लेवल पर 400 मीटर में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं. मुझे याद है कि शुरूआती एक घटना मेरे साथ घटी जब हेमस्टिंग पुल हुआ और तब मैंने पहली बार फिजियोथैरेपी का ट्रीटमेंट मैंने लिया, तत्पश्चात मैं 1998 में पहला निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद मेरा एक छोटा रोड एक्सीडेंट हुआ. तब से मेरे को बैक प्रॉब्लम होने लगी, कई लोग उसको साइटिका कहते हैं और बाद में स्पोंडलाइटिस डव्हलप होता है, तमाम कॉम्प्लीकेशन हो जाते हैं. यह मेरा एक्सीडेंट धार से इंदौर के बीच में हुआ था, जीप मैं खुद चला रहा था और सुबह चार बजे का समय था.मुझे उस वक्त जानकार आश्चर्य हुआ कि जब डॉक्टर ने मुझे यह कहा कि मुझे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पायेगा. मुझे एक स्पेशलाईज फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है. मैंने पूरे जिले में पता किया अगल-बगल पता करने की कोशिश करी. परन्तु मुझे जानकर हैरानी थी और उस वक्त 98 में मेरी उम्र बहुत कम थी, करीब 26-27 साल की थी. वहां पर कोई भी प्रापर्ली ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट था ही नहीं. इसके लिये मुझे एक लंबे अरसे तक जाकर दिल्ली रहना पड़ा. जहां मैंने प्रापर ट्रीटमेंट लिया.

मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए कुछ सार की बातें बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा. फिजियोथैरेपी की जो डेफिनेशन है, वह मैं आपको बता दूं कि क्या है-

यानि ऐसा नहीं है कि कोई साधारण सी चीज है कि कोई साधारण सी चीज है या कोई सड़क चलता आदमी आकर इसका इलाज कर दे. कहीं न कहीं कम्फ्यूजन है, हमारे विशेषज्ञों में और पहले जिन्होंने भी यह सोचकर निर्णय लिया होगा, इस पर पारंगत होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप कितनी पढ़ाई करने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट बन पाते हैं. मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आप जब बेसिक स्कूल एजुकेशन करते हैं, स्कूल की शिक्षा भी लेते हैं तो प्लस टू करना है, आपको फिजिक्स,कैमेस्ट्री और बॉयोलॉजी में करना है. तत्पश्चात् आपको ग्रेज्युएशन करना है, वह भी करीब साढ़े चार साल का कोर्स है. इसके बाद आपको स्पेशलाईजेशन करना है तो फिर आपको, करीब 2-3 साल की पढ़ाई करनी है. इसके बाद आपको पीएचडी करनी है तो पुन: आपको तकरीबन तीन वर्षों की पढ़ाई करनी है. फिर आपको बाकी जहां पर हम डॉक्टरेट दे रहे हैं या हम जिनको डॉक्टर्स मान रहे हैं. आप सिर्फ कोर विषय को अलग हटा दीजिये, उतनी ही पढ़ाई है

श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव-- एक्सपर्ट डॉक्टर्स से कम नहीं है. इतना सब कुछ जब है और इस सदन को निवेदन किया है इंडियन एसोसियेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने भी जिस प्रकार से निवेदन किया है. उन्होंने कहा है कि Physiotherapist works on scientific established system of medicine at various levels imparting

अवर सचिव / अधिकारी
म० प्र० शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

प्र. रजिस्ट्रार
म. प्र. सह. चिकित्सीय परिषद

on at under graduate, post graduate doctor travels in India, the cost contains and curriculum is 4 year जैसा मैंने बताया 2-3 years post graduation and 3-5 years Phd आपको जानकार आश्चर्य होगा कि सिर्फ प्रदेश में, देश में, बल्कि पूरे विश्व में फिजियोथेरेपी अत्यंत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण विषय है तथा इलाज की एक कला है. अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश में मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा.

नेता प्रतिपक्ष (श्री गोपाल भार्गव)--यह राज्य के क्षेत्राधिकार में है

अध्यक्ष महोदय--राज्य के क्षेत्राधिकार में है.

श्री गोपाल भार्गव--अध्यक्ष महोदय, उसको सर्वसम्मति से पारित कर लें.

श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव--अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है.

श्री गोपाल भार्गव--अध्यक्ष महोदय,आप आंसंदी से सबको निर्देशित कर दें अच्छी उपयोगी चीज है उसमें सबका भला है.

अध्यक्ष महोदय--इसको सर्व सम्मति से पारित करेंगे.

श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव--अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं. धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया(मंदसौर)--अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें नाम है मैं भी इसमें बोलना चाहता हूं. यह फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर का दर्जा नहीं है, जबकि वह उस लेवल का कार्य करता है. इस संबंध में हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी हमने ज्ञापन देकर उनको अग्रेशित किया है. माननीय विधायक जी ने ठीक ढंग से प्रस्तुत कर दिया है. दुःख इस बात का है कि सब कुछ होने के बाद भी यह लोग डॉक्टर हीं कहलाये जाते हैं. इनकी जो परिभाषा है उनको लेब टेक्निशियन तथा डिप्लोमा टेक्निशियन के समकक्ष इनको माना जाता है. माननीय विधायक जी मैं आपका सपोर्ट ही कर रहा हूं. इनको भी वही विषय पढ़ने पड़ते हैं जो बीडीएम तथा एमबीबीएस को पढ़ने पड़ते हैं.

अध्यक्ष महोदय--इनको भी डॉक्टर लिखा जाये.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया--अध्यक्ष महोदय, इनकी वेतन में भी विसंगतियां हैं जिसको लेकर के अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ है.

अध्यक्ष महोदय--इनका वेतन भी डॉक्टरों से कम हैं. इनका डॉक्टर लिखा जाये.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया--अध्यक्ष महोदय, इनको डॉक्टर कहा ही नहीं जाता है सबसे बड़ी विसंगति है.

श्री गिरीश गौतम--अध्यक्ष महोदय, अभी मध्यप्रदेश की सरकार ने एक ज्ञापन निकाला था जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है जो सरकारी कॉलेज से पास हैं वही अप्लाई करेंगे. जो प्रायवेट कॉलेज से पास हैं वह अप्लाई नहीं करेंगे. उसमें विडम्बना है, जबकि यह यूनिवर्सिटी डिग्री है. इसलिये मेरा आग्रह है कि फिजियोथेरेपिस्ट चाहे वह प्रायवेट कॉलेज से पास हों, चाहे सरकारी कॉलेज से पास हों सबके मामले में एकरूपता के साथ विचार किया जाये.

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ.विजय लक्ष्मी साधौ)--अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश सह चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 दिनांक 12 जनवरी, 2001 को विधान सभा में पारित हुआ था. 2001 में उस वक्त में ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी. पूरे हिन्दुस्तान में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्यों में भी पैरा मेडिकल की कोई भी कौंसिल नहीं थी. उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रही हूं कि मेरी माताजी को पेरालायसिस हुआ था ब्लड सेम्पल लेकर मैंने दो अलग अलग पैथालॉजी में भेजा था दोनों की अलग अलग रिपोर्ट आयी थी. उस वक्त मैंने समझा कि यह अलग रिपोर्ट आयी है तो इनका डायग्नोसिस इनका ठीक-ठाक नहीं होगा तो डॉक्टर इनका इलाज क्या करेगा ? मेरे सामने से यह फाईल 2001 में निकली कि पैरा मेडिकल कौंसिल बनायी जाये उस वक्त मैं इस सदन के अंदर पैरा मेडिकल का कांसेप्ट लेकर के आयी थी मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि इस वक्त भी इस संकल्प को सर्वानुमति से पास कर सम्मानित सदस्यगण गोपाल भार्गव जी, डॉ.सीतासरन शर्मा जी सब उस वक्त थे तो मुझे खुशी इस बात को कहने में है

प्र. रजिस्ट्रार
म. प्र. सह. चिकित्सीय परिषद

वक्त सभी ने मेरी बहुत तारीफ की थी तुम एक अच्छा निर्णय लेकर इस सदन में आयी हो. तब उस कौंसिल का गठन हुआ था पूरे भारत के मध्यप्रदेश में ही इस कौंसिल का निर्माण हुआ था. उसी काउंसिल के अंतर्गत जो विभिन्न हमारे टेक्निकल टेक्निशियन है दो डाक्टरों को असिस्ट करते हैं, उसको करीब करीब हम, उस वक्त तो हम लोग 20-22 लेकर आए थे, लेकिन बाद की सरकार ने इसको बढ़ाकर करीब करीब 42 पाठ्यक्रमों को इसमें सम्मिलित किया. फिजियोथेरेपी भी इसी का एक अंग था,चूंकि मैं भी डाक्टर हूं, प्रेक्टिस नहीं की, पढ़ते पढ़ते मुझे विधायक बना दिया गया, लेकिन टेक्निकल शब्द थेरेपी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए, नीट के माध्यम से सारे एक्जाम हो रहे है, चाहे वह एमबीबीएस के यू.जी. एक्जाम हो, पी.जी. एक्जाम हो. अब तो हमने आयुष को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है. बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लेकर आए हैं, फिजियोथेरेपी का, वाकई फिजियोथेरेपिस्ट जो है वह हमारा जो बॉडी का जो पार्ट है, डाक्टर तो इसको एग्जामिन करके, दवाई देकर के, मेडीसिन देकर ठीक करता है. फिजियोथेरेपी बहुत से जैसे पैरालेटिक हो जाते हैं, चाहे वह स्ट्रोक से हो, ब्रेन स्ट्रोक से हो चाहे, एक्सीडेंट में उनको चोट आती है, उसके कारण पेरालाइज्ड हो जाते हैं या अन्य स्लिप डिस्क हो जाती है स्पोंडोलाइसिस हो जाती है तो फिजियोथेरेपी कहीं न कहीं इसको ट्रीट करते हैं. डाक्टर साहब बोल नहीं रहे है. (डॉ सीतासरन शर्मा, सदस्य की ओर देखकर बोलते हुए) मेरे ही भोपाल मेडीकल कॉलेज के ये अपनी व्यथा समझ रहे हैं, मैं अपनी व्यथा समझ रही हूं आफ्टर इफेक्ट्स की. लेकिन अच्छा कान्सेप्ट है. सदन से मैं यही निवेदन करूंगी कि फिजियोथेरेपी काउंसिल जैसे कि अन्य स्टेटों में भी है. नेशनल लेबल पर तो काउंसिल नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों ने जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश ने इसको अंगीकार किया है और छत्तीसगढ़ में दोनों काउंसिलें पैरामेडीकल और फिजियोथेरेपी काउंसिल भी है. मैं यहां पर यही कहूंगी कि दिनांक 06.07.2019 को एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों को मुझे मिला भी था, तो वर्तमान में विभाग की प्रक्रिया में विचाराधीन है और काउंसिल के समग्र गठन हेतु, इसका स्वरूप कैसा हो, कैसे बने, अन्य राज्यों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि उन्होंने उसको कैसे अंगीकार किया उन्होंने इसमें क्या क्या एक्सेप्ट किए, क्या क्या रखा, उसको हम देखेंगे. इसके साथ ही हम लोग इसका व्यापक अध्ययन करेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय जो ज्ञापन और समग्रता विभाग द्वारा उचित निर्णय इसके बारे में हम लोग शीघ्र ही लेंगे. एक तरह से इसको पारित ही कर दें कि विचार करेंगे? और सारा दूसरे प्रदेशों से भी इसके बारे में जांच लेकर हम लोग इसका गठन करना चाहेंगे.

डॉ. गोविन्द सिंह - माननीय अध्यक्ष जी, सर्वानुमति से पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन मेरा अनुरोध सुनिए, समय सीमा एक महीना.

डॉ विजय लक्ष्मी साधौ - माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको बंधन में मत बांधिए.

अध्यक्ष महोदय - नहीं, कभी कभी कुछ चीजें बंधन में बांधी जाती है, जैसे तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे भाई है, बंधन है. बंधन बांधना पड़ता है.

डॉ विजय लक्ष्मी साधौ - जैसा आसंदी का आदेश हो.

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न यह है कि "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में एक स्वतंत्र फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल का गठन किया जाए, जिससे वेतन तथा अन्य विसंगतियां समाप्त हो सके."

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ.

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

प्र. रजिस्ट्रार
म. प्र. सह. चिकित्सीय परिषद